



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 20 जनवरी, 2022 / 30 पौष, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 05 जनवरी, 2022

संख्या राजस्व-घ/(एफ) 4-8/2019-लूज (कुल्लू).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में एक नई उप-तहसील जरी सृजित की जाए, ताकि नजदीक के गावों के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा

सके और जिससे उनको होने वाली किसी असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हो सके;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश तहसील भून्तर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्न स्तम्भ संख्या 6 में दर्शाए गए सात पटवार वृत्तों से गठित एक नई उप-तहसील जरी, जिसका मुख्यालय जरी में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं :-

उप-तहसील का नाम	मुख्यालय	वर्तमान तहसील भून्तर में सम्मिलित पटवार वृत्तों के नाम	उप-मण्डल का नाम	जिला	नई उप-तहसील में सम्मिलित किए जाने वाले पटवार वृत्त
1	2	3	4	5	6
जरी	जरी	मौहल खोखन बजौरा रोट-II गड़सा पारली मंझली दियार शिलीहार चौंग शाट कशावरी पीणी जरी बराधा सोसन मनीकर्ण	कुल्लू	कुल्लू	चौंग शाट जरी बराधा सोसन मनीकर्ण पीणी

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा,
प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(F)4-8/2019-Loose (Kullu), dated 5th January, 2022 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 05th January, 2022

No. Rev-D(F) 4-8/2019-Loose (Kullu).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to create a new Sub-

Tehsil Jari in District Kullu, Himachal Pradesh, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid any inconvenience being faced by them and to have better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to create a new Sub- Tehsil Jari in District Kullu, Himachal Pradesh, consisting of 7 Patwar Circles shown in column No.6 below, with immediate effect:—

Name of the Sub-Tehsil	Head quarter	Name of Patwar Circles presently included in Bhunter	Name of Sub-Division	District	Patwar Circle to be included in new Sub-Tehsil
1	2	3	4	5	6
Jari	Jari	Mohal Khokhan Bajora Rot-II Gadsa Parli Manjhli Diyar Shillihar Chong Shat Kashawri Peeni Jari Baradha Sosan Manikaran	Kullu	Kullu	Chong Shat Jari Varadha Sosan Manikaran Peeni

By order,

ONKAR CHAND SHARMA
Principal Secretary-cum-FC (Revenue).

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 07 जनवरी, 2022

संख्या:राजस्व-घ (ए)1-11/2021(चम्बा).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि उप-तहसील होली, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश का दर्जा बढ़ाकर तहसील कर दिया जाए जिसका मुख्यालय होली, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में होगा ताकि नजदीक के गावों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली किसी असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण हो सके;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित पटवार वृत्तों से समाविष्ट उप-तहसील होली, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश का दर्जा बढ़ाकर तहसील का करते हैं :-

तहसील का नाम	मुख्यालय	उप-मण्डल का नाम	जिला	सम्मिलित पटवार वृत्त
1	2	3	4	5
होली	होली	भरमौर	चम्बा	1. बजोल 2. घडौ 3. दियोल 4. होली 5. तियारी 6. कुठेहड़ 7. साह 8. क्वारसी 9. चन्हौता 10. गरोला

आदेश द्वारा,

ओंकार चन्द शर्मा,
प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Rev-D(A)1-11/2021-(CBA) dated 07-01-2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 07th January, 2022

No.Rev-D(A) 1-11/2021-(CBA).—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to upgrade the status of Sub-Tehsil Holi, District Chamba, Himachal Pradesh to that of Tehsil with its Headquarter at Holi,

District Chamba, Himachal Pradesh, so as to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid any inconvenience being faced by them and to have a better administrative control;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to upgrade the status of Sub-Tehsil Holi to that of Tehsil in District Chamba, Himachal Pradesh, consisting of following Patwar circles:—

Name of the Tehsil	Headquarter	Name of Sub-Division	District	Patwar Circles Included
1 Holi	2 Holi	3 Bharmour	4 Chamba	5 1. Bajol 2. Ghado 3. Diol 4. Holi 5. Tiary 6. Kuther 7. Sah 8. Kwarsi 9. Chanhota 10. Garola

By order,

ONKAR CHAND SHARMA
Principal Secretary-cum-FC (Revenue).

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 05 जनवरी, 2022

संख्या: राजस्व-घ/(एफ)4-7/2020-(कुल्लू).—हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.17 एवम् 3.18 में वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश तहसील